कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या– 71 /XXV–66(1–5)/2009 देहरादून : दिनांक 29 जनवरी, 2015

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अन्तर्गत मा0 सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16057/ 2014 के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपील संख्या A(D)-16057/ 2014 पर दिनांक 19 नवम्बर, 2014 को मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा पारित आदेश के प्रस्तर–10 के अनुपालन में प्रथम अपील के प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत पोस्ट ऑफिस के ट्रेक रिजल्ट की कार्यालय अभिलेखों एवं डाक घर से पुनः परीक्षण करवाया गया। पोस्ट ऑफिस के ट्रेक रिजल्ट में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षरों की पुष्टि नहीं हो पा रही है।

2. उक्त अपील पर पारित मा0 आयोग के आदेश के प्रस्तर–10 के अनुपालन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों को चेतावनी निर्गत की गयी है कि भविष्य में किसी भी स्तर से प्राप्त होने वाली डाक आदि की प्राप्ति के संबंध में प्राप्ति स्वरूप अपने सुस्पष्ट हस्ताक्षरों के साथ–साथ अपना नाम व पदनाम भी अनिवार्यतः अंकित करना सुनिश्चित करेंगे, तत्संबंधी कार्यालय आदेश दिनांक की प्रति मा0 आयोग के अवलोकनार्थ संलग्न प्रेषित है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(सौजन्या)
अपर सचिव एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी

उत्तराखण्ड शासन
निर्वाचन विभाग,
संख्या 69 / XXV/66(1-5)/2009
दिनांकः देहरादूनः 27 जनवरी, 2015

कार्यालय आदेश

सूचना अधिकार संबंधी प्रकरणों में प्रायः यह देखा गया है कि सूचना अधिकार संबंधी एवं प्रथम अपील संबंधी प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति समुचित एवं जिम्मेदारी पूर्वक परिलक्षित नहीं हो रही है जिस कारण सूचना अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्रों/प्रथम अपील संबंधी प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में अत्यधिक व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, मा0 सूचना आयोग द्वारा भी इस संबंध में कई बार असंतोष व्यक्त करते हुए लोक सूचना अधिकारी पर समय-समय पर शास्ति भी निर्धारित की गयी है।

सूचना अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्रों/अपीलों के समय पर निस्तारण किये जाने हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के समस्त कार्मिकों को चेतावनी दी जाती है कि वह सूचना अधिकार संबंधी आवेदन पत्रों/अपीलों एवं विभागीय अन्य डाक की प्राप्ति के समय डाक विभाग की प्राप्ति और अन्य स्तर से प्राप्त हो रही डाक की प्राप्ति पर अपने सुस्पष्ट हस्ताक्षरों के साथ-साथ अपना नाम और पदनाम अंकित करना सुनिश्चित करें। संबंधित पटल सहायक ऐसी डाक की निर्धारित पंजिका पर यथासमय इन्द्राजि सुनिश्चित करें। भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही और शिथिलता को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा और दोषी कार्मिक के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए निलम्बन की कार्यवाही की जायेगी।

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ0संख्या- / **XXV**-66(1-5)/2009, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषितः-

1. समस्त कर्मचारीगण, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदया के संज्ञानार्थ।

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या– 71 /XXV–66(1–5)/2009 देहरादून : दिनांक 29 जनवरी, 2015

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अन्तर्गत मा0 सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16057/ 2014 के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपील संख्या A(D)-16057/ 2014 पर दिनांक 19 नवम्बर, 2014 को मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा पारित आदेश के प्रस्तर–10 के अनुपालन में प्रथम अपील के प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत पोस्ट ऑफिस के ट्रेक रिजल्ट की कार्यालय अभिलेखों एवं डाक घर से पुनः परीक्षण करवाया गया। पोस्ट ऑफिस के ट्रेक रिजल्ट में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षरों की पुष्टि नहीं हो पा रही है।

2. उक्त अपील पर पारित मा0 आयोग के आदेश के प्रस्तर–10 के अनुपालन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों को चेतावनी निर्गत की गयी हैं कि भविष्य में किसी भी स्तर से प्राप्त होने वाली डाक आदि की प्राप्ति के संबंध में प्राप्ति स्वरूप अपने सुस्पष्ट हस्ताक्षरों के साथ–साथ अपना नाम व पदनाम भी अनिवार्यतः अंकित करना सुनिश्चित करेंगे, तत्संबंधी कार्यालय आदेश दिनांक की प्रति मा0 आयोग के अवलोकनार्थ संलग्न प्रेषित है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(सौजन्या)
अपर सचिव एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी

उत्तराखण्ड शासन
निर्वाचन विभाग,
संख्या 69 / XXV/66(1-5)/2009
दिनांक: देहरादून: 27 जनवरी, 2015

कार्यालय आदेश

सूचना अधिकार संबंधी प्रकरणों में प्रायः यह देखा गया है कि सूचना अधिकार संबंधी एवं प्रथम अपील संबंधी प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति समुचित एवं जिम्मेदारी पूर्वक परिलक्षित नहीं हो रही है जिस कारण सूचना अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्रों/प्रथम अपील संबंधी प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में अत्यधिक व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, मा0 सूचना आयोग द्वारा भी इस संबंध में कई बार असंतोष व्यक्त करते हुए लोक सूचना अधिकारी पर समय–समय पर शास्ति भी निर्धारित की गयी है।

सूचना अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्रों/अपीलों के समय पर निस्तारण किये जाने हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के समस्त कार्मिकों को चेतावनी दी जाती है कि वह सूचना अधिकार संबंधी आवेदन पत्रों/अपीलों एवं विभागीय अन्य डाक की प्राप्ति के समय डाक विभाग की प्राप्ति और अन्य स्तर से प्राप्त हो रही डाक की प्राप्ति पर अपने सुस्पष्ट हस्ताक्षरों के साथ–साथ अपना नाम और पदनाम अंकित करना सुनिश्चित करें। संबंधित पटल सहायक ऐसी डाक की निर्धारित पंजिका पर यथासमय इन्द्राजि सुनिश्चित करें। भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही और शिथिलता को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा और दोषी कार्मिक के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए निलम्बन की कार्यवाही की जायेगी।

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ0संख्या– 69 / XXV–66(1–5)/2009, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषितः–

1. समस्त कर्मचारीगण, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदया के संज्ञानार्थ।

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी